न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजिस्टेशन नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/02/2020	2020/00007	09/01/2020	28.11.2022

1. बैंक ऑफ बडौदा, शाखा दिल्ली रोड़, अलवर, ए–2 आनन्द विहार अग्रसेन सर्किल जिला अलवर (राजस्थान)।

–प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स दिल्ली ऑटो सीट कवर 60 अल्कापुरी शॉपिंग सेन्टर अलवर, प्रोपराईटर श्री रमेश कुमार परेवा पुत्र श्री जोहरीलाल
2. रमेश कुमार परेवा पुत्र जोहरीलाल निवासी प्लॉट नं0 15 ईएसडब्ल्यू अम्बेडकर नगर अलवर, प्रोपराईटर मैसर्स दिल्ली ऑटो सीट कवर

–अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को दिनांक 14.12.2012 को 7,15,000/–रूपये (Rupees Seven Lakh Fifteen Thousand Rupees Only) को उपलब्ध कराई थी, जो Total Aggregating Loan Amount Rs. 7,46,000/–(Rupees Seven Lakh Fourty Six Thousand Rupees Only) है। ब्याज/लेट पेमेन्ट पेनेल्टी/अन्य चार्जेज के सहित एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे की अदायगी। तथा अप्रार्थी ऋणीयों/जमानतदारो द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वंय की सम्पत्ति " **आवासीय जायदादः मकान नम्बर 15 ईएसडब्ल्यू अम्बेडकर नगर, अलवर राज0 जिसकी चार सिमाऐं क्रमशः तरफ पूर्व में अन्य सम्पत्ति, तरफ पश्चिम में रोड, तरफ उत्तर में प्लॉट नम्बर 16, तरफ दक्षिण में अन्य सम्पत्ति**" को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तो के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2019 एवं 01.08.2019 के द्वारा नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नही की गई। प्रार्थी ने उपरोक्त " **आवासीय जायदादः मकान नम्बर 15 ईएसडब्ल्यू अम्बेडकर नगर, अलवर राज0 जिसकी चार सिमाऐं क्रमशः तरफ पूर्व में अन्य सम्पत्ति, तरफ पश्चिम में रोड, तरफ उत्तर में प्लॉट नम्बर 16, तरफ दक्षिण में अन्य सम्पत्ति**" को दिनांक 31.03.2019 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नही है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर

जिला मजिस्ट्रेट
अलवर (राज0)

उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिये जाते है:-

1- रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त होता है, तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।

2- आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रकिया/प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार अलवर, जिला अलवर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है, कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानो की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावें। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर
जिला मजिस्ट्रेट
अलवर (राज०)

[illegible] ([illegible])

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

—[illegible]

[illegible]

[illegible]

—[illegible]

[illegible] 14 [illegible]

[illegible]

[illegible] 2002

[illegible]